02.07.25

अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र तहत आदेश 39 नियम 07 सी.पी.सी. बाबत मंगाने भौतिक सत्यापन कमिश्नर रिपोर्ट को खारिज किये जाने के विरुद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। कानूनन ऐसे आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में कानूनन उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। लिहाजा उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली